



सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 05.08.2026

- जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही ।
- थाना रनियाँ पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।
- अभियुक्तगण के कब्जे से पीली एवं सफेद धातु के आभूषण, 1,26,000/- रुपये नकद, मोबाइल फोन व आधार कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 30.07.2026 को वादी श्री राजन उर्फ अखिलेश शंखवार पुत्र रामगोपाल निवासी वार्ड नं0 10 श्यामसुन्दर नगर कस्बा व थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात के द्वारा दिनांक 29/30.07.2026 की रात्रि में करीब 01.30 बजे अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर मारपीट कर लूटपाट की घटना कारित करने के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रनियाँ पर मु0अ0सं0 141/2026 धारा 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा टीम गठित की गयी थी। गठित टीम द्वारा आज दिनांक 05.08.2026 को घटना में सम्मिलित अभियुक्तगण 01. आस मोहम्मद उर्फ आलू पुत्र मेहरुद्दीन निवासी नूरपुर थाना कादरचौक जनपद बदायूँ, उम्र करीब 30 वर्ष, 02. राजू शाह उर्फ लहीक पुत्र स्व0 मजीद शाह निवासी ग्राम रानी नागल थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद उम्र करीब 36 वर्ष, 03. कयूम अली पुत्र स्व0 इकरार अली निवासी मोहल्ला सरायखान कस्बा व थाना मीरगंज जनपद बरेली उम्र करीब 45 वर्ष को ग्राम परसौली की तरफ से 01 मोटर साइकिल पर आते हुए नारी खेत नहर पुल किशरवल रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना से सम्बन्धित रुपये, सोने चाँदी के जेवरात, आधार कार्ड, 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नं0 UP 24 AU 8824 को बरामद किया गया। अभियुक्त कयूम अली उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर नाजायज व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त के नाम प्रकाश में लाये गये तथा मु0अ0सं0 144/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम कयूम अली उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. आस मोहम्मद उर्फ आलू पुत्र मेहरुद्दीन निवासी नूरपुर थाना कादरचौक जनपद बदायूँ उम्र करीब 30 वर्ष,
2. राजू शाह उर्फ लहीक पुत्र स्व0 मजीद शाह निवासी ग्राम रानी नागल थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद उम्र करीब 36 वर्ष,

3. कयूम अली पुत्र स्व० इकरार अली निवासी मोहल्ला सरायखान कस्बा व थाना मीरगंज जनपद बरेली उम्र करीब 45 वर्ष,

बरामदगी-

- 1) 01 अंगूठी मर्दाना, 01 अंगूठी जनाना, 01 लॉकेट , 03 जोड़ी कान की छोटी बाली (पीली धातु),
- 2) 02 जोड़ी बिछिया (सफेद धातु),
- 3) 1,26,000/- रुपये नकद,
- 4) 01 वादी की पत्नी का आधार कार्ड,
- 5) 04 मोबाइल फोन कीपैड व 03 मोबाइल फोन एंड्राइड,
- 6) घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल नं० UP24 AU 8824 प्लेटिना (एमवी एक्ट में सीज),
- 7) अभियुक्त कयूम के कब्जे से एक देशी तमन्चा 315 बोर मय 03 कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज,

अभियुक्त आस मोहम्मद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 141/26 धारा 309(6)/317(2)बीएनएस थाना रनिया जनपद कानपुर देहात,
2. मु०अ०सं० 07/2019 धारा 380/411/457 भादवि थाना बागवाला जनपद एटा,

अभियुक्त राजू शाह उर्फ लहीक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 141/26 धारा 309(6)/317(2)बीएनएस थाना रनिया जनपद कानपुर देहात,

अभियुक्त कयूम अली उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 141/26 धारा 309(6)/317(2)बीएनएस थाना रनिया जनपद कानपुर देहात,
2. मु०अ०सं० 144/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रनिया जनपद कानपुर देहात,
3. मु०अ०सं० 0131/2026 धारा 115(2)/333/351(3)/352 बीएनएस थाना मीरगंज जनपद बरेली,
4. मु०अ०सं० 0654/2021 धारा 399/402 भादवि थाना रामगढ़ जनपद फिरोज़ाबाद,
5. मु०अ०सं० 0656/2021 धारा 25/4 आयुध अधि० थाना रामगढ़ जनपद फिरोज़ाबाद,
6. मु०अ०सं० 0163/2018 धारा 399/401 भादवि थाना सहावर जनपद कासगंज,
7. मु०अ०सं० 0165/2018 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना सहावर जनपद कासगंज,

गिरफ्तार करने वाली थाना रनियां पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार गौतम
2. उ०नि० श्री देवेन्द्र कुमार पाल
3. उ०नि० श्री प्रमोद कुमार तिवारी
4. हे०का० 250 सत्येन्द्र सिंह
5. का० 201 नरेन्द्र राना